रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 24, 2019/वैशाख 4, 1941

No. 269] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 24, 2019/VAISAKHA 4, 1941

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल,2019

सा.का.नि. 325(अ).— राष्ट्रपति, एतद्द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो उप महानिदेशक भर्ती नियम, 2006 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में उप महानिदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात -:

.1 संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ - (1) इन नियमों के नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, उप महानिदेशक राजपत्रित समूह "क" पद भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

.2 पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

.3 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

.4 निरर्हता :- वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

.5 शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

.6 व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप महानिदेशक	5* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह “क”, राजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल - 14 (रुपये 1,44,200-2,18,200)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता.
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि एक विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति:- अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य समूह “क” केंद्रीय सेवाओं के ऐसे अधिकारी (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

किए हुए है; अथवा (ii) जिन्हें भारत सरकार में लेवल 14 अथवा समतुल्य वेतन मेट्रिक्स वाले पदों पर नियुक्ति के लिए पेनलबद्ध किया गया है, और (ख) जिनके पास विनियमनकारी विधियों के प्रवर्तन अथवा आर्थिक तथा आपराधिक अपराधों का अन्वेषण तथा उससे संबन्धित आसूचना का संग्रहण करने में पाँच वर्ष का अनुभव। नोट 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर- बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. I-.बी.सी.एन-2017/37/12014-II]

पुण्य सलिला श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Narcotics Control Bureau)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2019

G.S.R. 325(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau (Deputy Director General) Recruitment Rules, 2006, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director General in the Narcotics Control Bureau under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, Deputy Director General, Group 'A', Gazetted Post Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

Disqualification.— No person,–

who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director General.	5* (2019) * Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group, A, Gazetted Non- Ministerial.	Level-14 (Rs. 1,44,200-2,18,200)	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation:- Officers of the All India Services and other Group ‘A’ Central Services,- (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; Or (ii) empanelled for appointment to posts in the level 14	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

of the pay matrix or equivalent in Government of India; and possessing five years experience in enforcement of regulatory laws or investigation of economic and criminal offences and collection of intelligence relating thereof. **Note 1**: Period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. **Note 2**: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty eight years, as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. I-12014/37/2017-NCB-II]

PUNYA SALILA SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.04.24 22:23:50 +05'30'